

रिपोर्ट योग्य

समक्ष उच्चतम न्यायालय  
वाद अपीलीय अधिकारिता  
दीवानी अपील सं० 4837/2019  
(विशेष अनुमति याचिका (दी०) सं० 15699/2018 से उत्पन्न)

लॉस नायक पी० एन० ओ० सं० 980510777 राज बहादुर एवं अन्य  
—— याचिकाकर्ता

बनाम्

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

—— प्रत्यर्थी

सम्बद्ध

दीवानी अपील सं० 4838/2019  
(विशेष अनुमति याचिका सं० 10674/2018 से उत्पन्न)  
सम्बद्ध

दीवानी अपील सं० 4839/2019  
(विशेष अनुमति याचिका सं० 10675/2018 से उत्पन्न)  
सम्बद्ध

दीवानी अपील सं० 4840—4842/2019  
(विशेष अनुमति याचिका (दी०) सं० 12891—12893/2018 से उत्पन्न)  
सम्बद्ध

दीवानी अपील सं० 4844/2019  
(विशेष अनुमति याचिका (दी०) सं० 12247/2019 से उत्पन्न)  
(डी० सं० 31847/2018)  
सम्बद्ध

दीवानी अपील सं० 4845/2019  
(विशेष अनुमति याचिका (दी०) सं० 12248/2019 से उत्पन्न)  
(डी० सं० 42625/2018)

**डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):**

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

सम्बद्ध

दीवानी अपील सं० 4843/2019

(विशेष अनुमति याचिका (दी०) सं० 7168/2019 से उत्पन्न)

सम्बद्ध

दीवानी अपील सं० 4846/2019

(विशेष अनुमति याचिका (दी०) सं० 12250/2019 से उत्पन्न)

(डी० सं० 46457/2018)

सम्बद्ध

टी० सी० (सी) सं० 297/2017 में सी० एम० ए० सं० 643/2019

सम्बद्ध

टी० सी० (सी) सं० 287/2017 में सी० एम० ए० सं० 732/2019

निर्णय

उदय उमेश ललित, न्यायाधीश

दीवानी अपील सं० 4837/2019

(विशेष अनुमति याचिका (सी) सं० 15699/2018 से उत्पन्न)

1— अनुमति दी गई।

2— यह अपील रिट अपील सं० 10308/2018 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दि० 20.4.2018 तथा अन्तिम निर्णय की यथार्थता को चुनौती देती है। इस अपील को अग्रणी वाद के रूप में लिया गया।

**डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):**

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

3— अपील कर्ता अनुसूचित जाति के हैं तथा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग मे आरक्षी/मुख्य आरक्षी के पदों पर कार्यरत हैं। वे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा 12.06.2010 को उप निरीक्षक (सिविल पुलिस के) 5389 पदो के लिए जारी विज्ञापन के अनुसरण मे आयोजित सीमित विभागीय परीक्षा मे सम्मिलित हुए। परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक एवं निरीक्षक (सिविल पुलिस) सेवाएं नियमावली, 2008 के द्वारा शासित होना था। उक्त नियम 16 निम्नलिखित आशय का है—

“16— उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया— उप निरीक्षक के पद के लिए विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के उद्देश्य से बोर्ड निम्नलिखित तरीके से एक लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा।

क— लिखित परीक्षा – (1) अर्ह उम्मीदवारों को 300 नम्बर की लिखित परीक्षा मे सम्मिलित होना होगा। लिखित परीक्षा मे शामिल विषयों का विवरण तथा प्रत्येक विषय को आवंटित अंको का विवरण निम्नलिखित है।

क्रम सं0	विषय	अधिकतम अंक
----------	------	------------

**डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):**  
स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

1—	हिन्दी निबन्ध विधि एवं कानून व्यवस्था सम्बन्धित प्रकरणों के अध्ययन व पुलिस कार्यप्रणाली पर आधारित)	100 अंक
2—	मूलभूम कानून, संविधान तथा पुलिस प्रणाली भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता साक्ष्य अधिनियम तथा पुलिस मैनुअल, आदि)	100 अंक
3—	संख्यात्मक व मानसिक योग्यता परीक्षा	50 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
4—	मानसिक योग्यता व बुद्धिलब्धि परीक्षा / तर्क शक्ति	50 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

टिप्पण 1— प्रश्न पत्रों को उप—निरीक्षक के पद की सेवा प्रकृति व सेवा उत्तरदायित्वों को ध्यान मे रखकर बनाया जाएगा ।

टिप्पण 2— प्रत्येक विषय मे न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने मे विफल रहने वाले अभ्यर्थी पदोन्नति के लिए अर्ह नहीं होंगे ।

**डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):**  
स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

II— चयन समिति नियम 6 में प्रदत्त आरक्षण प्रावधानों के अन्तर्गत अभ्यर्थियों द्वारा खंड (क) के उपखण्ड (I) के अनुसार लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार

पर सफल अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी।

(ख)— शारीरिक योग्यता परीक्षण— खण्ड (क) के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को अर्हकारी प्रकृति के शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। पुरुष अभ्यर्थियों को 10 किलो मीटर की दौड़ 75 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थियों को 5 किलोमीटर की दौड़ 45 मिनट में पूर्ण करना होगा।

(ग)— सेवा रिकार्ड— खण्ड (क) के उपखंड (I) के अन्तर्गत चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके सेवा रिकार्ड के आधार पर अंक प्रदान किए जायेंगे। सेवा अवधि के लिए अधिकतम 20 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 01 अंक) तथा स्नातक व उच्च शैक्षिक योग्यता के लिए 10 अंक, देय होंगे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित 30 अंकों में से प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम 10 व अधिकतम 20 अंक देय होंगे, प्रत्येक अमौलिक प्रशिक्षण के लिए 02 अंक, अधिकतम 10 अंकों तक तथा 30 अंक वार्षिक आख्या के लिए होंगे। राष्ट्रीय स्तर के प्रत्येक मेडल के लिए 03 अंक तथा राज्य स्तर के प्रत्येक मेडल के लिए 02 अंक अधिकतम 10 अंकों तक दिया जायेगा जबकि नकद पुरस्कार के लिए कोई अंक नहीं दिया जायेगा। इस प्रकार,

**डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):**

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

उक्तानुसार अधिकतम 100 अंक होंगे। पुलिस विभाग के प्रशिक्षण निदेशक मौलिक व अमौलिक प्रशिक्षण को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत है इस शर्त के अनुसार कोई प्रशिक्षण जो एक महीने के कम अवधि का होगा, को मौलिक प्रशिक्षण अधिसूचित नहीं किया जायेगा। प्रत्येक वृहद दंड के लिए 30 अंक, प्रत्येक न्यून दंड के लिए 02 अंक तथा प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि व न्यून दंड के लिए 01 अंक घटाये जायेंगे। सेवा रिकार्ड की जाँच करते समय अभ्यर्थी को मिले ऐसे दण्ड जो उसको पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त करता हो, को भी ध्यान में रखा जायेगा। ऐसा अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा पिछले 5 वर्षों के अन्दर बाधित रही है, पदोन्नति के लिए अर्ह नहीं होगा।

(घ)– खण्ड (क) एवं (ग) के प्रावधानों के अन्तर्गत— प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा खण्ड (क) के उपखण्ड (II) के तहत प्राप्त अंकों को उसके द्वारा उपखण्ड (V) में प्राप्त अंकों में जोड़ा जायेगा। चयन समिति इस प्रकार के समग्र अंकों के आधार पर एक सूची तैयार करेगी।

(च)– समूह चर्चा— नियम 17 (क) के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को समूह चर्चा में सम्मिलित होना होगा जिसके लिए अभ्यर्थियों के पृथक समूह बनाये जायेंगे। समूह चर्चा की कार्यवाही एक पैनल के देखरेख में सम्पादित की जायेगी जिसमें प्रबन्धकीय विशेषज्ञ, बोर्ड के अध्यक्ष की उपस्थिति में मनोविज्ञानी व अपराध विज्ञानी तथा पुलिस

**डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):**

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

महानिदेशक (उत्तर प्रदेश) के द्वारा नामित एक अपर पुलिस महानिदेशक अथवा उनके द्वारा नामित पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक शामिल होंगे। उक्त समूह चर्चा में पुलिस प्रकरणों के अध्ययन को चर्चा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा तथा सभी समूहों को निर्धारित समय सीमा में सभी समूह चर्चा पूर्ण करनी होगी। समूह चर्चा के लिए 20 अंक होंगे तथा इसमें अभ्यर्थियों का प्रबन्धकीय कौशल (5 अंक), प्रस्तुतीकरण (5 अंक), अभिवृत्ति (5 अंक) तथा व्यक्तित्व (5 अंक) सम्मिलित होगा। अंको को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा

टिप्पणी 1— समूह चर्चा की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी करायी जायेगी तथा उसको एक समेकित प्रारूप में तैयार किया जायेगा।

टिप्पणी 2— चयन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए अधिनियम की धारा 7, समय समय पर यथासंशोधित, के अनुसार अधिकारियों को नामित किया जायेगा।

(छ)— चयन एवं मेधा सूची— बोर्ड नियम 6 में प्रदत्त आरक्षण प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों द्वारा उपनियम (घ) व उपनियम (च) के अन्तर्गत प्राप्त समग्र अंको के श्रेष्ठता क्रम के आधार पर एक अंतिम चयन सूची बनायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त

**डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):**

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

करें, तो उपनियम (स) के अन्तर्गत अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सूची में उपर रखा जायेगा। चयन समिति सूची को बोर्ड को प्रेषित करेगा जो उक्त सूची को विभागाध्यक्ष को भेजेगा।”

4— अभ्यर्थियों को इस प्रकार 300 अंको के लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। लिखित परीक्षा जैसा नियम 16 (क) (i) में वर्णित है, में चार विषय होंगे तथा ऐसा अभ्यर्थी जो प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करने में असफल रहता है, पदोन्नति के लिए अर्ह नहीं होगा।

5— ऐसा प्रतीत होता है कि लिखित परीक्षा में 18 प्रश्न त्रुटिपूर्ण तरीके से बनाये गये हैं जिस इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में रिट याचिका (सर्विस सिंगल) सं० 3918/2011 (आरक्षी विमल कुमार सिंह व अन्य बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दी गई चुनौती में विभाग द्वारा स्वीकार किया गया। एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश सं० 3.08.2011 द्वारा अधिकारियों को उन 18 प्रश्नों के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को अंक प्रदान करने का निर्देश दिया है। एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को उक्त से उद्भूत विशेष अपील में खण्डपीठ द्वारा स्थगन दे दिया गया। अन्ततः यह वाद इस न्यायालय के सामने आया तथा सिविल अपील सं० 6547/2014 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि० 18.07.2014 में निम्नलिखित निर्देश दिये गये—

“पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद हम

**डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):**

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।



इस राय पर पहुंचे हैं कि विवाद के सभी पक्षों का अन्त किया जाना चाहिए एवं तदनुसार हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं।

(क)– जैसा हमें बार में अवगत कराया गया है, सफल अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये पदों की संख्या 3358 है तथा अभ्यर्थी जिन्होंने उक्त पदों पर पदभार ग्रहण कर लिया है और वर्तमान में सेवारत है, को प्रभावित नहीं किया जायेगा।

(ख)– उत्तर प्रदेश भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड सभी अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्रों की जांच की जायेगी, अभ्यर्थी जो रिट न्यायालय के समक्ष गये थे या नहीं गये थे और यदि उन्होंने ऐसे 18 प्रश्नों को हल किया है व जवाब दिया है जिनको गलत बना दिया गया था, तो उन्हें उक्त 18 प्रश्नों के लिए पूर्ण अंक प्रदान किये जायेंगे।

(ग)– यदि किसी अभ्यर्थी ने गलत प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है तो उनको आनुपातिक रूप में घटा दिया जायेगा। स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी हल किये गये प्रश्नों के लिए पूर्ण अंक प्राप्त करेंगे।

(घ)– 2031 पदों के सम्बन्ध में उपर्युक्त अंकों को ध्यान में रखते हुए एक मेधा सूची बनायी जायेगी जो पद वर्ष 2008 के सम्बन्ध में वर्तमान में उपलब्ध है।

(ङ)– उपर्युक्त प्रक्रिया तीन महीने के अन्दर पूर्ण की जायेगी। अतः सभी सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया

**डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):**

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

जायेगा व अग्रिम कार्यवाही राज्य के द्वारा की जायेगी।  
हमारे आदेश द्वारा रिट न्यायालय या न्याय खण्डपीठ के  
समक्ष लम्बित कोई भी वाद निर्णीत माना जायेगा।

- 6— चयन सूची तदोपरान्त 27.11.2014 को प्रकाशित की गई।  
7— एस एल पी (सी) सं० 25377—78/2014 (कमर हसन  
खान व अन्य बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में इस न्यायालय द्व  
ारा दि० 10.8.2015 को आदेश पारित किया गया जो निम्नलिखित  
है—

“यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई न्यायालय इस चयन  
विशेष से सम्बन्धित किसी परिवाद पर विचार नहीं करेगा। हमारा यह  
आदेश ऐसे किसी अभ्यर्थी जो पहले ही चयनित हो चुका है या  
प्रशिक्षण पर भेज दिया गया है, को नहीं हटायेगा। इस बात पर बल  
देने की जरूरत नहीं है कि वर्तमान आदेश वाद के विशेष लक्षणों के  
मद्देनजर पारित किया गया है।”

- 8— अप्रैल 2018 में अपीलकर्ताओं द्वारा रिट याचिका रिट  
ए—सं० 10308/2018 प्रस्तुत की गई थी, अन्य बातों के अलावा यह  
कहते हुए कि चयन प्रक्रिया आरक्षण नीति को अपनाये बिना पूर्ण की  
गयी तथा 50 प्रतिशत अर्हकारी अंको का निर्धारण विषयवार न होकर  
प्रश्नपत्रवार होना चाहिए।

- 9— इस न्यायालय द्वारा (कमर हसन खान एवं अन्य बनाम्  
उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश दि० 10.08.2015 के  
दृष्टिगत उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने से मना  
किया तथा अपने आदेश दि० 20.4.2018 द्वारा खारिज कर दिया

**डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):**

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे  
किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में  
दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

जिसको वर्तमान में चुनौती दी गई है।

10— जब 15.04.2019 को वाद सुना गया, श्री पल्लव सिसौदिया, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित होकर रिट याचिका (सी) सं० 45/2016 में पारित आदेश दि० 30.01.2017 पर विश्वास जताया जिसमें कट आफ अंकों से ज्यादा अंक पाने वाले सम्बन्धित याचिकाकर्ताओं को प्रशिक्षण के लिए भेजने का निर्देश दिया गया था। ऐसा कहा गया है कि अपीलकर्ताओं को समान लाभ दिया जाये। श्री पल्लव सिसौदिया, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों को आदेश दि० 15.04.2019 में निम्नलिखित प्रकार से लिखा गया था—

“नियम के अनुसार, अर्ह अभ्यर्थियों को 300 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना होगा तथा विषयों का विवरण नियम 16 (क) में दिया गया है। इस प्रकार निर्दिष्ट विषय क्रमांक 1 से 4 (विषय 3 व 4 प्रत्येक के लिए 50 अंक) हैं।

याचिका के अनुसार, 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता विषयवार नहीं लेना चाहिए बल्कि प्रश्नपत्रवार प्रगणित करना चाहिए। चूंकि विषय 3 व 4 के लिए कोई उभयनिष्ठ प्रश्नपत्र नहीं है, आवश्यक न्यूनतम अंक सम्पूर्ण प्रश्नपत्र के लिए बाध्यकारी बनाना चाहिए, न कि विषयवार यथा विषय 3 व 4, श्री सिसौदिया ने निवेदित किया है कि उसके मुवक्किल ने प्रश्नपत्र में 54 प्रतिशत अंक प्राप्त किया है यद्यपि मुवक्किल विषय 3 व

**डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):**

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

4 मे न्यूनतम 50 प्रतिशत न प्राप्त किया हो।

श्री सिसौदिया के अनुसार यदि यह तर्क स्वीकार किया जाता है, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के आदेश दि० 30.01.2017 का लाभ मिलेगा क्योंकि उनके द्वारा समग्र प्राप्तांक 50 प्रतिशत से ज्यादा है।”

11— राज्य सरकार का दृष्टिकोण है—

(क)— अभ्यर्थियों को न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट तरीके से पूरे अंक प्रदान किये गये थे।

(ख)— कोई भी अपीलकर्ता इस तरीके से सभी विषयों में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने का मानदण्ड पूर्ण नहीं कर रहे थे।

12— यह तथ्य कि अपीलकर्ताओं ने प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किये थे, स्वीकार है तथा अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया तर्क कि विषय सं० 3 व 4 यथा “अंकगणितीय व मानसिक योग्यता परीक्षा” व “मानसिक योग्यता परीक्षा/बुद्धिलब्धता परीक्षण/तर्कशक्ति” प्रत्येक के 50 अंक निर्धारित थे, इसी प्रश्नपत्र के भाग थे। अग्रिम निवेदन कि सभी विषयों के समग्रता के आधार पर अपीलकर्ता पदोन्नति के हकदार होंगे।

13— हमने प्रस्तुत किये गये तर्कों पर उद्धिग्नता के साथ विचार किया। हम इन वादों में सीमित विभागीय परीक्षा से चिन्तित हैं जहाँ पर वरिष्ठता की अवहेलना करते हुए एक मेहनती अभ्यर्थी को उच्च स्तर तक पहुँचने के लिए मौका दिये जाने की अवधारणा है। अतः मेधाशक्ति ही मुख्य तत्व है तथा मापदण्डों से किसी प्रकार का

**डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):**

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

समझौता या शिथिलता नहीं हो सकती है। नियम के अनुसार “प्रत्येक विषय में” न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक अपेक्षित हैं। विषय नियमावली में वर्णित है तथा चार विषय हैं। विषय 3 व 4 उसी प्रश्नपत्र का भाग है जो विचार में न लेते हुए नियमावली की स्पष्ट भाषा ऐसी किसी व्याख्या की अनुमति नहीं देते हैं तथा श्री सिसौदिया के द्वारा दिये गये सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

14— आदेश दि० 30.01.2007 पर विश्वास किया जाना पूरी तरह से गलत है। यह आदेश स्वयं किसी विवाद का निस्तारण नहीं करता था एवं वास्तव में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उक्त आदेश स्ववमेय अन्य वादों के लिए मिसाल नहीं होगा।

15— अतः हम निवेदन को अस्वीकार करते हैं तथा अपील को खारिज करते हैं। कोई वाद व्यय नहीं।

### **सिविल अपील सं० 4838—4839/2019**

(एस० एल० पी (सी) सं० 10674—10675/2018 से उद्भूत)

### **सिविल अपील सं० 4840—4842/2019**

(एस० एल० पी० (सी) सं० 12891—12893/2018 से उद्भूत)

### **सिविल अपील सं० 4845/2019**

(एस० एल० पी० (सी) सं० 12248/2019 से उद्भूत)

**(डी० सं० 42625/2018)**

#### **डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):**

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

विलम्ब माफ किया गया।

अनुमति प्रदान की गई।

इस वाद के वाद—बिन्दु पूर्व वाद के समान है जहाँ समान तर्क उठाये गये थे, अतः हम हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते।

अतः ये अपील खारिज की जाती है। कोई वादव्यय नहीं।

### **सिविल अपील सं० 4844/2019**

(एस० एल० पी० (सी) सं० 12247/2019 से उद्भूत) (डी० सं० 31847/2018)

एवं

### **सिविल अपील सं० 4846/2019**

(एस० एल० पी० (सी) सं० 12250/2019 से उद्भूत) (डी० सं० 46457/2018)

एवं

### **सिविल अपील सं० 4843/2019**

(एस० एल० पी० (सी) सं० 7168/2018 से उद्भूत)

विलम्ब माफ किया गया।

अनुमति प्रदान की गई।

यह भी निवेदित किया जाता है कि अपीलकर्ता आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित है तथा इस प्रकार अर्हकारी अंकों में छूट पाने का अधिकारी है।

नियमावली के अन्तर्गत मापदण्ड प्रत्येक विषय में 50

#### **डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):**

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

प्रतिशत अंक है। राज्य आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए एक शिथिल या अलग मापदण्ड निर्धारित करने को स्वतंत्र था। यद्यपि ऐसी कोई छूट राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई तथा परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा कोई राहत नहीं दी सकती है। नियमावली के अनुसार, जैसी वह है, न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक का मापदण्ड पूर्ण करना है। चूंकि अपीलकर्ता मापदण्डों को पूर्ण नहीं करते हैं, कोई अपवाद नहीं बनाया जा सकता है। अतः दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं। कोई वादव्यय नहीं।

### **टीसी (सी) सं० 287/2017 मे एम० ए० सं० 732/2019**

उत्तर प्रदेश राज्य मे सीधी भर्ती द्वारा उप—निरीक्षक (सिविल पुलिस) के 4010 पदों व प्लाटून कमांडर (प्रान्तीय सशस्त्र बल—पी० ए० सी०) के 312 पदों की भर्ती के लिए निकाले गये विज्ञापन दि० 19.5.2011 के अनुसरण मे किया गया चयन इस न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं० 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य सम्बद्ध वादो के निर्णय के अधीन था।

वर्तमान प्रार्थियों द्वारा उच्च न्यायालय मे पोषित रिट याचिका सं० 2604/2015 इस न्यायालय को अन्तरित हुई थी तथा टी० सी० (सिविल) सं० 287/2017 संख्या आवंटित हुई। यह उक्त सिविल अपील सं० 11370/2018 के साथ निर्णीत की गई।

यह कहा जाता है कि प्रार्थियो द्वारा इस रिट याचिका मे उठाई गई शिकायत उत्तर प्रदेश उप—निरीक्षक (सिविल पुलिस) रैंकर्स परीक्षा के पद पर सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा पदोन्नति के

#### **डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):**

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

लिए चयन के सम्बन्ध में थी, न कि सीधी भर्ती के सम्बन्ध में तथा यह वाद गलत तरीके से सिविल अपील सं० 11370/2018 के साथ संयोजित किया गया था। अतः हम उक्त निर्णय तथा आदेश दि० 27.11.2018 को अन्तरित वाद (सिविल) सं० 287/2017 के निर्णय की सीमा तक वापस लेते हैं।

उक्त अन्तरित वाद को सुना गया। रिट याचिका में मुख्य प्रार्थना प्रतिवादी द्वारा रिट याचिका कर्ताओं को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के रूप में आरक्षण व छूट देने के लिए निर्देश जारी करने के लिए है। इस सम्बन्ध में दिये गये तर्कों पर उपर वर्णित मामलों में पहले ही विचार किया जा चुका है। हम मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते अतः अन्तरित वाद सं० 287/2017 खारिज किया जाता है।

### **टीसी(सी) सं० 297/2017 में एम० ए० सं० 643/2019**

उत्तर प्रदेश राज्य में सीधी भर्ती द्वारा उप-निरीक्षक (सिविल पुलिस) के 4010 पदों व प्लाटून कमाण्डर (प्रान्तीय सशस्त्र बल-पी० ए० सी०) के 312 पदों पर भर्ती के लिये निकाले गये विज्ञापन दि० 19.05.2011 के अनुसरण में किया गया चयन इस न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं० 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य सम्बद्ध मामलों में दिये गये निर्णय के अधीन था।

वर्तमान प्रार्थियों द्वारा उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं० 18788/2017 इस न्यायालय को अन्तरित हुई थी तथा उसको टी० सी० (सिविल) सं० 297/2017 संख्या आवंटित

#### **डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):**

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।



हुई। यह रिट उक्त सिविल अपील सं० 11370/2018 के साथ निर्णीत हुई थी।

अब यह कहा जाता है कि प्रार्थियों द्वारा इस रिट याचिका में उठाई गई शिकायत उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक (सिविल पुलिस) रैंकर्स परीक्षा के पद पर सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा पदोन्नति के लिए चयन के सम्बन्ध में थी न कि सीधी भर्ती के सम्बन्ध में तथा यह वाद गलत तरीके से सिविल अपील सं० 11370/2018 के साथ संयोजित किया गया था। अतः हम उक्त निर्णय तथा आदेश सं० 27.11.2008 को अन्तरित वाद (सिविल) सं० 297/2017 के निर्णय तक वापस लेते हैं।

उक्त अन्तरित वाद को अब सुना जाता है। रिट याचिका में मुख्य प्रार्थना रिट याचिकाकर्ताओं को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के रूप में आरक्षण व छूट देने के लिए प्रतिवादी को निर्देशित किये जाने के लिए है। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये तर्कों पर उपर वर्णित मामलों में पहले ही विचार किया जा चुका है। हम मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते। अतः अन्तरित वाद सं० 297/2017 खारिज किया जाता है।

..... न्यायाधीश  
(उदय उमेश ललित, )

नई दिल्ली

मई 09, 2019

..... न्यायाधीश  
(इन्दु मल्होत्रा)

**डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):**

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपनी भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।